भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 74
21 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन और प्रगति

74. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 की वर्तमान स्थिति क्या है और योजना के प्रारंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत कितने आवास निर्मित किए गए हैं और लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए हैं;
(ख) पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत प्रदान की गई 2.30 ट्रिलियन रुपये की वित्तीय सहायता का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है, जिसमें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि भी शामिल है; और
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि आवास सहायता लक्षित लाभार्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचे?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराये पर लेने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू **2.0** 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इस योजना के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटक को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं। आईएसएस घटक को केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी

विकास निगम (हुडको) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मांग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता का पता लगाने के लिए लाभार्थियों को सत्यापन करते हैं। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग दर्ज कर सकते हैं। योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा आवासों को अनुमोदित किया जाता है और केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को केंद्रीय सहायता जारी करने पर विचार हेतु अग्रेषित किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अब तक कुल 7.10 लाख आवास स्वीकृति किए जा चुके है। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित कुल परिव्यय 2.3 लाख करोड़ रूपये है, जिसमें 1.6 लाख करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अब तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत केंद्रीय सहायता अनुलग्नक । में दी गई है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निर्माण कार्य और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) उपयुक्त माध्यमों से विभिन्न घटकों के तहत आवास की मांग का आकलन कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करती है, मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। लाभार्थी पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आवास की मांग के लिए खुद को पंजीकृत भी कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी योजना के दिशानिर्देशों की पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को मान्य करते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थी सूची का चयन/जांच कई स्तरों पर की जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए योजना के दिशानिर्देश और एकीकृत वेब-पोर्टल **https://pmay-urban.gov.in** के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं।

*****

दिनांक 21-07-2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण

क्रमांक संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	606.15
2		बिहार	2,306.85
3		छत्तीसगढ	193.59
4		गोवा	-
5		गुजरात	315.53
6		हरियाणा	228.84
7		हिमाचल प्रदेश	-
8		झारखंड	213.98
9		कर्नाटक	-
10		केरल	-
11		मध्य प्रदेश	293.12
12		महाराष्ट्र	569.43
13		ओडिशा	179.39
14		पंजाब	184.20
15		राजस्थान	544.31
16		तमिलनाडु	-
17		तेलंगाना	1,705.22
18		उत्तर प्रदेश	2,973.18
19		उत्तराखंड	-
20		पश्चिम बंगाल	-
उप-योग (राज्य): -			10,313.76
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	119.50
22		असम	345.71
23		मणिपुर	-
24		मेघालय	-
25		मिजोरम	-
26		नागालैंड	-
27		सिक्किम	-

28		त्रिपुरा	-
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य) : -			465.21
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
30		चंडीगढ़	-
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	-
32		दिल्ली	-
33		जम्मू और कश्मीर	28.62
34		लद्दाख	-
35		लक्षद्वीप	-
36		पुदुचेरी	10.06
उप-योग (यूटी): -			38.68
योग : -			10,817.65